न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 146/2012

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र कालूराम जाति सांसी निवासी गाम लोहरवाडा, नसीराबाद

—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री अश्विनी कुमार धुन्ना

बनाम

1. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादी :– 1 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 1236 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 14.1.19

प्रस्तुत वाद माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर के न्यायालय से इन निर्देशो के साथ प्राप्त हुआ है। कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान का वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे। प्रकरण के आवश्यक तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी जो ग्राम लोहरवाडा में स्थित है, वादी की आवंटनशुदा है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
2350	3129	3–6–0	1442	1.60 मे से 0.53
2731	3142	4–2–0	1412	0.66
2066	2357	0–15–10	4203	0.13
2067	2358	0–15–0	4204	0.12
2068	2359	0–17–0	4209	0.14

उक्त आराजी वादी को भू आवंटन अभियान के तहत आंवटन अधिकारी द्वारा दिनांक 26.11.75 को आवंटित की गयी थी। जिसका इन्द्राज चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023–2026 में वादी के नाम किया गया। उक्त आराजी का कब्जा वादी को सौपा गया। एवं आराजी मुतनाजा पर वादी का कब्जा आज भी मौके पर चला आ रहा है। किन्तु आराजी मुतनाजा के वर्किग खसरा नम्बर 3129, 3142, 2357, 2358, 2359 रकबा कमशः 3–6–0, 4–2–0, 0–15–10, 0–15–0, 0–17–0 कुल भूमि 9–11–0 व हाल खसरा नम्बर 1442, 1412, 4203, 4204, 4209, रकबा कमशः 0.53, 0.66, 0.13, 0.12, 0.14 को नियमानुसार वादी के नाम

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी दर्ज करने के बजाय त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया गया। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पावंद किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेंदन किया कि आराजी मुतनाजा जमाबंदी सम्वत् 2023–26 में आदेश श्रीमान एस0डी0ओ0 साहब दिनांक 26.11.75 से वादी के नाम दर्ज है। उक्त आराजी का आवंटन आवंटन आदेश द्वारा वादी को किया गया है। हाल जमाबंदी में आराजी मुतनाजा सिवायचक दर्ज है।

प्रकरण में वाद पत्र व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी वादी को विधिवत् आवंटनशुदा है?
——वादी
2. वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से वादी कब्जे काश्त की होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
——वादी
3. अनुतोष?

अधिवक्ता वादी ने वाद् के समर्थन में प्रदर्श 1 से 19 राजस्व अभिलेख व आंवटन संबधित दस्तावेज पेश किये। एवं वादी के पॉवर होल्डर संतोष पुत्री भंवरलाल के मौखिक बयान दर्ज करवाये।

राज0 पैरोकार ने प्रकरण से संबधित मौका रिपोर्ट व दस्तावेज पेश किये। व निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.66 राजकीय कार्यालय एवं भवन निर्माण प्रयोजनार्थ आरक्षित है। वादी के आवंटन के विरूद्व 14 (4) की कार्यवाही नही हुयी है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि आराजी मुतनाजा वादी को दिनांक 26.11.175 को विधिवत आवंटित कर कब्जा व दखल सौपा गया। खसरा गिरदावरी में आवंटन का नोट लगा हुआ है। उक्त आवंटन आज तक निरस्त नही हुआ है। खसरा नम्बर 1412 पर वादी के आवंटन को निरस्त नही किया गया है। एवं उक्त खसरा के आरक्षित करने की कोई सूचना वादी को नही दी गयी। अतः वाद स्वीकार किया जावे। दौराने बहस विद्धान अधिवक्ता वाद ने आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज 694–696 की नजीर पेश की।

राज0 पैरोकार ने दौराने बहस कथन किया कि आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है। उक्त आराजी का नामान्तरकरण कभी भी वादी के नाम दर्ज नही किया गया। वादी द्वारा समस्त आवंटन शर्तो की पालना नही की है। अतः वादी का वा सव्यय खरिज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। विद्धान अधिवक्ता वादी द्वारा नजीर का सम्मानपूर्वक अनुशीलन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

<u>तनकी संख्या 1</u> :–

ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3129 रकबा 3–6–0, 3142 रकबा 4–2–0, 2357 रकबा 0–15–10, 2358 रकबा 0–15–0 व 2359 रकबा 0–12–10 कुल 9–11–0 वादी को दिंनाक 26.11.75 को आवटित हुयी थी। जो प्रदर्श 13 आवंटन पट्टा द्वारा सिद्व होता है। साथ ही उक्त आराजी का कब्जा वादी को सम्भलाया गया जो प्रदर्श 12 कब्जा रिपोर्ट से स्पष्ट है। प्रदर्श 10 आवंटन आदेश भी वादी को उक्त आराजी आवंटित होने की पुष्टि होती है। प्रदर्श-3 चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2013–26 में चौसाला खसरा नम्बर 2066, 2067, 2068, 2731 व 2350 वादी के नाम आवंटन होने का नोट अंकित है। खसरा

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

गिरदावरी प्रदर्श 4 से 6 में भी उक्त आराजी पर वादी के आवंटन का नोट अंकित है। राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में भी कथन किया है कि आराजी मुतनाजा का आंवटन वादी को दिनांक 26.11.75 को किया गया। साथ ही तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्र कंमाक भू.अ./18/6394 दिनांक 30.10.18 द्वारा स्पष्ट है कि उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही नही हुयी है।

वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन सम्बन्धित दस्तावेज से स्पष्ट है कि वादी को आराजी मुतनाजा का विधिवत आवंटन हुआ जो आज दिनांक तक निरस्त नही किया गया है। अतः तनकी संख्या 1 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 के विवेचन व वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन सम्बन्धित दस्तावेजात से स्पष्ट होता है कि वादी को आराजी मुतनाजा का आवंटन राज्य सरकार के भू आवंटन अभियान के अन्तर्गत नियमानुसार किया गया। उक्त आवंटन को नोट चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023–26 में अंकित किया गया। किन्तु उक्त नोट बिना किसी नामान्तकरण के दर्ज करने के कारण भू प्रबन्ध विभाग द्वरा वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी सिवायचक दर्ज कर दी गयी। राजस्व अधिकारियों/कार्मिको को उक्त आराजी विधिवत तरीके से राजस्व अभिलेख में वादी के नाम दर्ज करनी चाहिये थी किन्तु उनके द्वारा की गयी गलती के कारण वादग्रस्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गयी। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से भी उक्त आराजी पर वादी का कब्जा सिद्व होता है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक होने के आधार पर वादी का वाद खारिज नही किया जा सकता है। तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्र कंमाक भू.अ./18/6394 दिनांक 30.10.18 द्वारा स्पष्ट है कि उक्त आवंटन आदेश के विरूद्व कोई 14 (4) की कार्यवाही नही हुयी है। वादी के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को आज दिवस तक किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी गयी है। साथ ही उक्त आवंटन निरस्त होने का काई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में उक्त आराजी जो वादी को दिनांक 26.11.75 को आवंटित की गयी का आवंटन आज दिवस तक कायम है। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत नजीर आर0बी0जे0 (21) 2014 पेज 694–696 के अवलोकन से स्पष्ट है कि जब तक आंवटन के निरस्त करने की कार्यवाही नही होती तथा सक्षम न्यायालय में को चुनौती नही दे दी जाती है तब तक चाहे राजस्व रेकार्ड में अंकन हो या नही हो आवंटन बहाल रहता है। उक्त नजीर प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा पायी जाती है। वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। उक्त आराजी वादी के नाम दर्ज करनी चाहिये थी जो बदांबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के सिवायचक दर्ज कर दी है।

तहसीलदार नसीराबाद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 1412 रकबा 0.66 राजकीय कार्यालय व भवन निर्माण प्रयोजनार्थ आरक्षित है। अतः वादी शेष हाल खसरा नम्बर 1442 मिन रकबा 0.53, 4203 रकबा 0.13, 4204 रकबा 0.12 व 4209 रकबा 0.14 पर खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है। तनकी संख्या 2 बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1442 मिन रकबा 0.53, 4203 रकबा 0.13, 4204 रकबा 0.12 व 4209 रकबा 0.14 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकद्दमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भंवरलाल वनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :– 88,188,91,92ए राज. का. अधि0 1955 सपठित धारा 136 भू राज0 अधि0 1956
राजस्व मुकदमा नम्बर – 146/2012
पेश करने की दिनांक – 3.2.16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू मुकेश कुमार चौधरी (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक ललित नारायण मेहरा मुददई व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

उक्तानुसार ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1442 मिन रकबा 0.53, 4203 रकबा 0.13, 4204 रकबा 0.12 व 4209 रकबा 0.14 पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी को उक्त आराजी का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक १५ माह ०१ सन् 2019 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner